



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र, 1938 (श०)

संख्या- 619 राँची, बुधवार,

30 अगस्त, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

2 अप्रैल, 2016

विषय:- राज्य में विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी.वी.टी.जी. डाकिया योजना) के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु रूपये 6.32 करोड़ प्रति वर्ष की दर से व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या - खा.प्र.-01/डाकिया स्कीम/7-7/2016 - 1469-- राज्य में माह अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है । यह अधिनियम लाभुकों को भोजन का अधिकार प्रदान करती है । वस्तुतः इस अधिनियम का सर्वोपरि उद्देश्य मानव जीवन चक्र में खाद्य एवं पोषण की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए एक गरिमामय जीवन की व्यवस्था करना है । इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं । इस क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी पात्र आदिम जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता के तौर पर आच्छादित किये जाने की कार्रवाई की गई है ।

2. झारखण्ड राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। राज्य की भौगोलिक बनावट तथा स्थलाकृति को देखते हुए इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि राज्य की अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी एवं दुर्गम है। इन पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में मुख्यतः आदिम जनजाति निवास करते हैं। राज्य के आदिम जनजाति की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है। अतः खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु प्रतिमाह लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इन्ही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सभी पात्र आदिम जनजातियों के निवास स्थान तक 35 किलोग्राम चावल को पैकेट के रूप में उपलब्ध कराने के घटिकोण से राज्य में विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी.वी.टी.जी. डाकिया योजना) के शुभारंभ किया जाना है। साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना का विलय इस योजना में कर दी जायेगी। इस हेतु सभी जिले सभी आदिम जनजाति परिवारों को अन्त्योदय लाभुकों के रूप में चिन्हित करना सुनिश्चित करेंगे।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम तक झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के परिवहन अभिकर्ता द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात् झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्न का परिवहन जिला प्रशासन द्वारा चयनित परिवहन अभिकर्ता द्वारा डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से किया जाता है।

4. विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी.वी.टी.जी. डाकिया योजना) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से उठाव कर झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के चिन्हित गोदाम तक लायी गई खाद्यान्न को 35 किलोग्राम के निर्धारित मानक वाले पैकेट में पैकेजिंग करते हुए सीधे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित आदिम जनजाति के निवास स्थान तक पहुँचायी जायेगी।

5. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम में खाद्यान्न के पैकेजिंग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सखी मण्डलों (SHGs) द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक जिले में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक गोदाम चिन्हित किये जायेंगे जहाँ खाद्यान्न की पैकेजिंग की जायेगी। इस संबंध में झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाईटी द्वारा कुल 68,731 आदिम जनजाति परिवारों के लिए खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए प्रतिवर्ष लगभग रूपये 3.00 करोड़ राशि व्यय होने का प्रस्ताव दिया गया है। विदित हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आदिम जनजाति परिवारों के समावेशन/अपवर्जन होने की स्थिति में यह राशि घट बढ़ सकती है।

6. इस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के चिन्हित गोदाम से आदिम जनजाति के निवास स्थल तक खाद्यान्न का पैकेट पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के नियंत्रण में पहुँचाया जायेगा। इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को नामांकित किया जायेगा जो खाद्यान्न के परिवहन हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे एवं एक डम्मी जन वितरण प्रणाली दुकान के रूप में भूमिका

अदा करेंगे। साथ ही संबंधित पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के नाम से एक ई-पॉस दिया जायेगा जिसके साथ उस क्षेत्र के सभी चिन्हित आदिम जनजाति टैंग रहेंगे ताकि यथासंभव बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन के आधार पर e-POS के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण हो सके।

7. विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी.वी.टी.जी. डाकिया योजना) को प्रारंभ करने हेतु झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा दिये गये प्रस्ताव के आलोक में मजदूरी व्यय का भुगतान प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में अग्रिम के रूप में की जायेगी। साथ ही सखी मण्डल को पैकेजिंग से संबंधित सामग्रियों एवं अन्य के क्रय हेतु एकमुश्त अग्रिम राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम तक एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्न के परिवहन करने में रूपये 75.00 + रूपये 40.00 = रूपये 115.00 प्रति क्विंटल की दर से व्यय भारित है। चूंकि आदिम जनजातियों का निवास स्थल अपेक्षाकृत दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इस दृष्टिकोण से इस योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के चिन्हित गोदाम से आदिम जनजातियों के निवास स्थान तक खाद्यान्न का परिवहन करने हेतु अधिकत्तम रूपये 115.00 प्रति क्विंटल की दर से व्यय की जायेगी।

9. वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 24 जिलों के 168 प्रखण्डों में कुल 68,731 आदिम जनजाति परिवार आच्छादित हैं। इस परिवारों को 35 किलोग्राम प्रतिमाह प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न वितरण हेतु 24055.85 क्विंटल खाद्यान्न की आवश्यकता प्रतिमाह होगी जिसके परिवहन पर रूपये 0.27 करोड़ प्रतिमाह यथा रूपये 3.32 करोड़ प्रति वर्ष की दर से व्यय भारित है। विदित हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आदिम जनजाति परिवारों के समावेशन/अपवर्जन होने की स्थिति में यह राशि घट बढ़ सकती है।

10. इस प्रकार राज्य में विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पी.वी.टी.जी. डाकिया योजना) के संचालन हेतु प्रति वर्ष कुल रूपये 3.0 करोड़ (पैकेजिंग इत्यादि) + रूपये 3.32 करोड़ (परिवहन) = रूपये 6.32 करोड़ (रूपये छः दशमलव बत्तीस करोड़ मात्र) व्यय होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।